

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

39

प्रकरण कं. /2018 पुनरीक्षण मिशनरी 5840/2018 ग्वालियर /भू.प्र.

श्री शुक्रेश भार्गव काशि
द्वारा आज दि. 24-9-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-10-18 नियत।

पूरन सिंह पुत्र हुकुम सिंह रावत
निवासी ग्राम नुनहारी तहसील डबरा
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

..... आवेदक

स.प्र.
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
24-9-18

विरुद्ध

1. हरी पुत्र मोहन जाटव
निवासी ग्राम नुनहारी तह. डबरा
जिला ग्वालियर
2. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार डबरा

..... अनावेदकगण

शुक्रेश भार्गव काशि
24-9-18 (स.प्र.)
ग्वालियर

न्यायालय नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
डबरा जिला ग्वालियर द्वारा प्र.कं. 34/2001-02 ए-19 में
पारित आदेश दिनांक 06.05.2002 के विरुद्ध म.प्र. भू.
राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।



माननीय महोदय.

[Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5840/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाता है ।</p> <p> रिडर</p> <p> अध्यक्ष</p>	